NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 29-11-2025

विषय सूची

» भारत का अद्यतन भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र (2025)

» भारत-अमेरिका रक्षा सौदा और रणनीतिक संबंध

» IMF ने भारत को GDP और दूसरे नेशनल अकाउंट्स डेटा पर 'C' ग्रेड दिया

» भारत के समुद्रयान मिशन में देरी

संक्षिप्त समाचार

» इटली द्वारा महिला हत्या कानून पारित

» जी. वी. मावलंकर

» माधवाचार्य

» सिरपुर पुरातात्विक स्थल

» भारत इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन काउंसिल में पुनः निर्वाचित

» डिजिटल बैंकिंग चैनलों के लिए RBI के नियम

» रूस की एस-500 वायु रक्षा प्रणाली

» ऑपरेशन सागर बंधु

भारत का अद्यतन भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र (2025)

समाचार में

- भारत ने नया **भूकंप डिज़ाइन कोड (2025)** के अंतर्गत अद्यतन **भूकंपीय क्षेत्रीयकरण मानचित्र** जारी किया है।
  - यह संशोधन भारत के भूकंपीय सुरक्षा मानकों को आधुनिक वैज्ञानिक समझ के अनुरूप बनाने का प्रयास है, जो पुराने 2016 मानचित्र एवं ऐतिहासिक-उपकेंद्र आधारित मॉडलों को प्रतिस्थापित करता है।

उन्नयन की आवश्यकता

- **पहले के मानचित्रों ने हिमालयी जोखिम को कम आंका:** पूर्व क्षेत्रीयकरण ने हिमालय को ज़ोन IV और V में विभाजित किया था, जबकि यह पट्टी विश्व की सबसे सक्रिय विवर्तनिक प्रणालियों में से एक है।
- **पुरानी कार्यप्रणाली:** पुराने मॉडल मुख्य रूप से ज्ञात भूकंप स्थानों, परिमाण, व्यापक भूविज्ञान, मृदा के प्रकार और ऐतिहासिक क्षति पैटर्न पर आधारित थे।

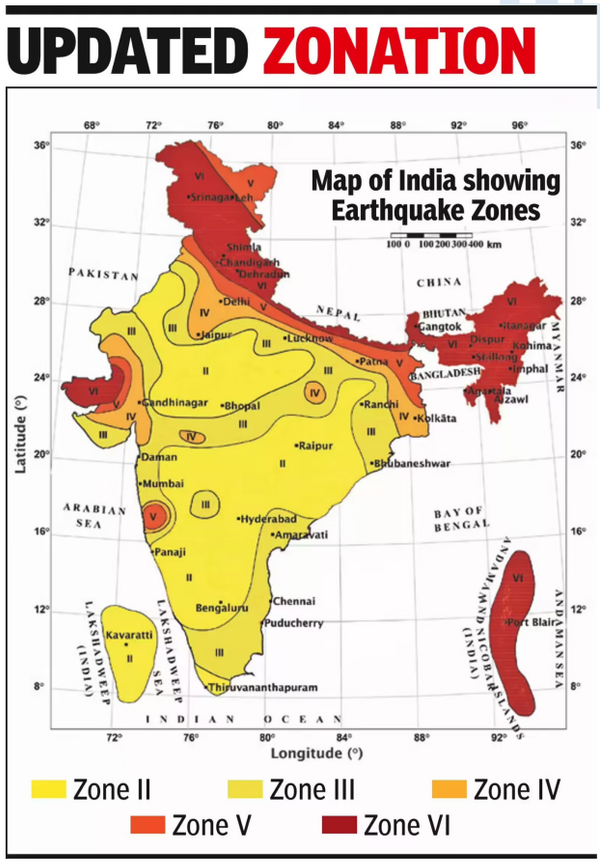

- **रप्चर प्रसार का कम आकलन:** पहले के मानचित्रों ने हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के दक्षिण की ओर प्रसार को पर्याप्त रूप से नहीं माना।
  - देहरादून (मोहंद के पास) जैसे जनसंख्या वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े थ्रस्ट फॉल्ट के पास होने के बावजूद कम रिस्क का सामना करना पड़ा।
- **बढ़ता हुआ जोखिम और संवेदनशीलता:** भारत की लगभग तीन-चौथाई जनसंख्या अब भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में रहती है।
- **अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से अंतर:** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत **संभाव्य भूकंपीय खतरा आकलन(PSHA)** विधियों को अपनाने की आवश्यकता।

भूकंपीय क्षेत्रीयकरण मानचित्र क्या है?

- भूकंपीय क्षेत्रीयकरण मानचित्र एक वैज्ञानिक प्रस्तुति है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अपेक्षित भूकंपों की तीव्रता और आवृत्ति के आधार पर विभिन्न ज़ोन में विभाजित करता है।
- इसे **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** द्वारा प्रकाशित किया जाता है और **भूकंप डिज़ाइन कोड (IS 1893)** में सम्मिलित किया जाता है।
- यह शहरी नियोजन, जोखिम आकलन और आपदा तैयारी के लिए एक आधारभूत उपकरण के रूप में कार्य करता है।

नए भूकंपीय मानचित्र (2025) की मुख्य विशेषताएँ

- **ज़ोन VI का परिचय:**
  - पूरा हिमालयी आर्क (जम्मू-कश्मीर-लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक) अब नव निर्मित उच्चतम जोखिम वाले ज़ोन VI में वर्गीकृत है।
  - यह भारतीय-यूरेशियन प्लेट सीमा के साथ लगातार, अत्यधिक विवर्तनिक तनाव को मान्यता देता है।
- **वैज्ञानिक कार्यप्रणाली - PSHA:** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत **संभाव्य भूकंपीय खतरा आकलन(PSHA)** विधियों का उपयोग करके निर्मित।

- दूरी के साथ ग्राउंड शेकिंग का क्षीणन, विवर्तनिक व्यवस्था और अंतर्निहित शैलविज्ञान को ध्यान में रखता है।

- **विस्तारित भौगोलिक कवरेज:** भारत के 61% भूभाग को अब मध्यम से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है (2016 में 59% था)।
  - दक्षिणी प्रायद्वीप में मामूली सुधार दिखते हैं, जहाँ अपेक्षाकृत स्थिर विवर्तनिक व्यवहार है।
- **सीमा नियम संवर्द्धन:** दो ज़ोन की सीमा पर स्थित नगर स्वतः उच्च जोखिम वाले ज़ोन में रखे जाएंगे।
- **गैर-संरचनात्मक तत्वों की व्यापक सुरक्षा:** प्रथम बार परापेट, छतें, ओवरहेड टैंक, फ़साड पैनल, विद्युत लाइनें, लिफ्ट और लटकने वाले उपकरण जैसे गैर-संरचनात्मक घटकों पर ध्यान केंद्रित।
- **निकट-फॉल्ट प्रावधान:** सक्रिय फॉल्ट्स के पास स्थित भवनों के लिए संरचनात्मक डिज़ाइन में गंभीर पल्स-जैसी ग्राउंड मोशन को ध्यान में रखना अनिवार्य।

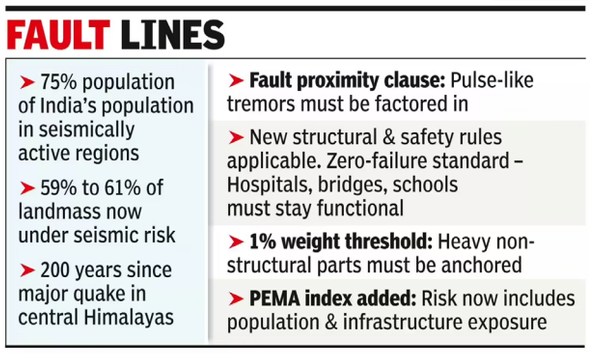

  - विस्थापन, डक्टिलिटी और ऊर्जा अपव्यय पर अद्यतन सीमाएँ।
- **स्थल-विशिष्ट आवश्यकताएँ:** द्रवीकरण जोखिम, मृदा की लचीलापन और स्थल-विशिष्ट प्रतिक्रिया स्पेक्ट्रा को संबोधित करने वाले नए प्रावधान।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना मानक:** अस्पताल, स्कूल, पुल, पाइपलाइन और प्रमुख सार्वजनिक भवनों को बड़े भूकंपों के बाद भी कार्यात्मक रहना होगा।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **पुरानी अवसंरचना का पुनर्निर्माण:** उच्च लागत, तकनीकी जटिलता और विभिन्न न्यायक्षेत्रों में समन्वय की चुनौतियाँ।
- **आर्थिक बोझ:** सख्त मानकों के कारण निर्माण लागत अधिक।
- **भू-तकनीकी जांच आवश्यकताएँ:** स्थल-विशिष्ट आकलन के लिए विशेष विशेषज्ञता और उपकरणों की आवश्यकता।

Source: TOI

भारत-अमेरिका रक्षा सौदा और रणनीतिक संबंध

समाचार में

- भारत ने अपनी 24 **MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों** की बेड़े के लिए अमेरिका के साथ ₹7,995 करोड़ का फॉलो-ऑन सपोर्ट समझौता अंतिम रूप दिया है, जिससे पाँच वर्षों तक सतत रखरखाव और आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर

- **MH-60R**, जिसे **लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन** द्वारा निर्मित किया गया है, एक सर्व-ऋतु हेलीकॉप्टर है जो अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर के साथ कई मिशनों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **MH-60R सीहॉक** ब्लैकहॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण है।
- भारत ने फरवरी 2020 में अमेरिका के साथ 24 MH-60R की खरीद के लिए समझौता किया था।

भारत–अमेरिका रक्षा साझेदारी

- भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग "**भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग के नए ढाँचे**" पर आधारित है, जिसे 2015 में दस वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था।
- 2016 में, रक्षा संबंधों को **मेजर डिफेंस पार्टनरशिप (MDP)** का दर्जा दिया गया।
- रक्षा सहयोग बहुआयामी है तथा इसमें नियमित संस्थागत द्विपक्षीय संवाद, सैन्य अभ्यास और रक्षा खरीद शामिल हैं।

- हाल के समझौते सुरक्षा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

विकास

- महत्वपूर्ण रक्षा समझौते, जो बातचीत और सहयोग के लिए ढाँचा प्रदान करते हैं, इस प्रकार हैं:
  - **लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (2016)**
  - **कम्युनिकेशंस कम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (2018)**
  - **इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (2019)**
  - **बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (2020)**
  - **डिफेंस इनोवेशन कोऑपरेशन के लिए आशय पत्र (2018)**
  - **सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज़ अरेंजमेंट (SOSA)**
- सैन्य-से-सैन्य संबंध सुदृढ़ हैं, भारत अमेरिका के साथ सबसे अधिक संख्या में अभ्यास करता है—**युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रायम्फ**—साथ ही बहुपक्षीय अभ्यासों जैसे **RIMPAC** एवं **Red Flag** में भी भाग लेता है।
- भारत ने 2022 में बहरीन में **कंबाइंड मैरिटाइम फोर्स (CMF)** में भी शामिल हुआ। कुल मिलाकर, साझेदारी संवाद, खरीद, प्रौद्योगिकी, उद्योग और संयुक्त अभ्यासों तक फैली हुई है, जो रक्षा एवं सुरक्षा में गहरी होती रणनीतिक अभिसरण को दर्शाती है।

मुद्दे और चुनौतियाँ

- उच्च स्तरीय रक्षा प्रौद्योगिकी के वास्तविक हस्तांतरण की गति को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
- नौकरशाही बाधाएँ और अलग-अलग खरीद प्रणालियाँ कार्यान्वयन को धीमा करती हैं।
- अगस्त 2025 में अमेरिकी शुल्कों के कारण भारतीय वस्तुओं पर तनावपूर्ण संबंध।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत–अमेरिका रक्षा संबंध एक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हो गए हैं, जो प्रौद्योगिकी साझा करने, संयुक्त अभ्यासों और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा पर केंद्रित है।
- इसे सुदृढ़ करने के लिए, विशेषज्ञ खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने, साइबर, एआई और अंतरिक्ष में अनुसंधान एवं विकास का विस्तार करने, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने, उच्च-स्तरीय रक्षा संवाद को संस्थागत बनाने तथा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए भू-राजनीतिक संतुलन बनाए रखने पर बल देते हैं।

Source :TH

IMF ने भारत को GDP और दूसरे नेशनल अकाउंट्स डेटा पर 'C' ग्रेड दिया

समाचार में

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत को उसकी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की गुणवत्ता के लिए 'C' ग्रेड दिया है, जो किसी बड़े अर्थतंत्र के लिए सबसे निम्न रेटिंग्स में से एक है।

IMF ने 'C' ग्रेड क्यों दिया?

- **पुराना आधार वर्ष (2011–12):**
  - भारत अभी भी GDP, CPI और IIP के लिए 2011–12 आधार वर्ष का उपयोग करता है।
  - उपभोग पैटर्न, उत्पादन संरचनाएँ, तकनीकी अपनाने और सापेक्ष कीमतों में बहुत परिवर्तन हो चुका है।
  - पुराना आधार वर्ष वास्तविक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति और क्षेत्रीय भार को विकृत करता है।
- **मुद्रास्फीति का गलत प्रतिनिधित्व:**
  - CPI को कम ग्रेड ('B' बजाय 'A') मिला क्योंकि:
    - पुराना आधार वर्ष
    - खाद्य वस्तुओं का अत्यधिक भार
  - इससे मुद्रास्फीति मापन की सटीकता घटती है, जो RBI की मौद्रिक नीति को प्रभावित करती है।

- **अनौपचारिक क्षेत्र का कमजोर आकलन:**
  - भारत का अनौपचारिक क्षेत्र कम आंका जाता है क्योंकि यह मुख्यतः अपंजीकृत, नकद-आधारित और औपचारिक डेटा प्रणाली से बाहर है।
  - इससे GDP स्तर, रोजगार प्रवृत्तियों और कल्याण परिणामों का गलत मापन होता है।
- **डेटा संशोधन में देरी:**
  - वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा प्रत्येक 5 वर्ष में आधार वर्ष संशोधन की अनुशंसा करती है।
  - भारत ने एक दशक से अधिक समय से संशोधन लागू नहीं किया है, जिससे आर्थिक वास्तविकता के साथ समय पर संरेखण नहीं हो पाता।
- **आधुनिक डेटा स्रोतों के बेहतर उपयोग की आवश्यकता:**
  - यद्यपि कॉर्पोरेट क्षेत्र का डेटा अब MCA-21 के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जिसमे कई अंतराल बने हुए हैं।
  - मूल्य वर्धन का अनुमान लगाने के लिए GSTN डेटा का एकीकरण अभी पूरी तरह से परिचालित नहीं हुआ है।

IMF के डेटा ग्रेड कैसे कार्य करते हैं?

- IMF राष्ट्रीय सांख्यिकी का मूल्यांकन अपने **डेटा क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क (DQAF)** के अंतर्गत करता है, जो कार्यप्रणाली की सुदृढ़ता, सटीकता और विश्वसनीयता, सेवा क्षमता (समयबद्धता, आवधिकता, स्थिरता), पहुँच एवं अखंडता की गारंटी का आकलन करता है।
- **ग्रेडिंग श्रेणियाँ:**
  - **ग्रेड A** – अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ उच्च अनुपालन
  - **ग्रेड B** – स्वीकार्य लेकिन उल्लेखनीय कमियाँ
  - **ग्रेड C** – महत्वपूर्ण कमजोरियाँ जो निगरानी को प्रभावित करती हैं
  - **ग्रेड D** – खराब गुणवत्ता वाला डेटा जो विश्लेषण को गंभीर रूप से सीमित करता है

'C' ग्रेड के संभावित प्रभाव

- **नीतिनिर्माण की कमजोर सटीकता:** गलत या पुराना डेटा राजकोषीय योजना, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, मौद्रिक नीति और क्षेत्रीय हस्तक्षेपों को प्रभावित करता है।
- **आर्थिक आँकड़ों की विश्वसनीयता में कमी:** वैश्विक निवेशक, रेटिंग एजेंसियाँ और वित्तीय संस्थान भारत के डेटा को अधिक सतर्कता से देख सकते हैं।
- **वृद्धि और कल्याण का गलत आकलन:** अनौपचारिक क्षेत्र का गलत अनुमान वास्तविक वृद्धि प्रदर्शन, रोजगार संकट और घरेलू स्तर की कमजोरियों को छिपा सकता है।
- **मौद्रिक नीति पर असर:** यदि मुद्रास्फीति का गलत मापन होता है, तो RBI की नीतिगत दरें वास्तविक मूल्य दबावों को प्रतिबिंबित नहीं करेंगी, जिससे तरलता, उधारी और वृद्धि प्रभावित होगी।
- **सांख्यिकीय सुधारों का दबाव:** IMF की रेटिंग भारत पर आधार वर्षों को अद्यतन करने, सर्वेक्षण प्रणालियों का आधुनिकीकरण करने और सांख्यिकीय निकायों की स्वायत्तता को सुदृढ़ करने का दबाव बढ़ाती है।

मूल शब्दावली

- **राष्ट्रीय लेखा (National Accounts):** एक सांख्यिकीय ढाँचा जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का सार प्रस्तुत करता है, जिसमें GDP, GVA, उपभोग, बचत और निवेश शामिल हैं।
- **आधार वर्ष (Base Year):** वह संदर्भ वर्ष जिसका उपयोग समय के साथ कीमतों और उत्पादन में बदलाव की तुलना के लिए किया जाता है। इसे आदर्श रूप से प्रत्येक 5 वर्ष में अद्यतन किया जाना चाहिए।
- **GDP (सकल घरेलू उत्पाद):** एक निश्चित अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
- **GVA (सकल मूल्य वर्धन):** उत्पादन माइनस मध्यवर्ती उपभोग; क्षेत्रवार आर्थिक योगदान को मापता है।

- **CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक):** घरेलू उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिनिधि टोकरी पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति को मापता है।
- **IIP (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक):** खनन, विनिर्माण और विद्युत में औद्योगिक उत्पादन को मापता है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector):** अपंजीकृत, असंगठित आर्थिक गतिविधि जिसमें औपचारिक लेखा या नियामक निगरानी नहीं होती।
- **MCA-21:** कॉर्पोरेट वित्तीय फाइलिंग्स का डेटाबेस, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत है।

Source: TH

भारत के समुद्रयान मिशन में देरी

संदर्भ

- भारत के प्रथम मानव-सबमर्सिबल मिशन **समुद्रयान** पर महत्वपूर्ण परीक्षणों का एक सेट आगामी वर्ष के मध्य तक स्थगित कर दिया गया है क्योंकि फ्रांस से **सिंटैक्टिक फोम क्लैडिंग** की आपूर्ति में देरी हुई है।
  - यह फोम उछाल (buoyancy) के लिए आवश्यक है और इसे निर्धारित 500-मीटर परीक्षण गोता से पहले लगाया जाना अनिवार्य है।

समुद्रयान मिशन के बारे में

- **समुद्रयान मिशन** भारत के **डीप ओशन मिशन** का एक प्रमुख घटक है। इसमें **मत्स्य 6000** का विकास शामिल है, जो स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया चौथी पीढ़ी का मानव-सबमर्सिबल है और तीन लोगों को 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है।
  - **मत्स्य 6000** को 12 घंटे तक संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि आपात स्थिति में यह 96 घंटे तक सहनशीलता रखता है।
- इसे **राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई** द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)** के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।
- भारत का अनुसंधान पोत **सागर निधि** मत्स्य 6000 को तैनात और पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
- मिशन का अनुमानित बजट ₹4,077 करोड़ है और इसे 2021 से 2026 तक पाँच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

महत्व

- भारत अपने **11,098 किमी लंबे तटरेखा, नौ तटीय राज्यों** और **1,382 द्वीपों** का उपयोग **ब्लू इकोनॉमी रणनीति** के माध्यम से कर सकता है, जिसे समुद्रयान मिशन द्वारा सुदृढ़ किया जाएगा।
- गहरे समुद्र के खनिजों, ईंधनों और जैव विविधता की खोज को सक्षम बनाता है, जबकि गहरे महासागर का लगभग 95% अभी भी अन्वेषित नहीं है।
- **समुद्र के नीचे दूरसंचार केबलों की सुरक्षा** को सुदृढ़ करता है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 तक भारत की डेटा ट्रांसमिशन क्षमता नए सबमरीन केबलों के साथ चार गुना बढ़ने की उम्मीद है।
- भारत को अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस जैसे चुनिंदा देशों की श्रेणी में रखता है जिनके पास गहरे समुद्र में मानव अन्वेषण की क्षमता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **पोत विकास:** टाइटेनियम मिश्र धातु गोले की सटीक मोटाई आवश्यक है, और 0.2 मिमी की भी विचलन से पतन का जोखिम है।
  - 2023 में टाइटैनिक गोता के दौरान **ओशनगेट के टाइटन सबमर्सिबल** का ध्वस्त होना सटीक इंजीनियरिंग के महत्व को उजागर करता है।

- **जीवन समर्थन प्रणाली:** ऑक्सीजन का नियमन और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **एक्वानॉट स्वास्थ्य:** उच्च शारीरिक फिटनेस, सीमित भोजन और जल की सहनशीलता, तथा 96 घंटे तक संकुचित स्थानों में रहने की क्षमता आवश्यक है।
- **संचार:** रेडियो तरंगें जल के नीचे विफल हो जाती हैं, जिसके लिए ध्वनिक टेलीफोन की आवश्यकता होती है।
  - भारत ने अपनी प्रणाली विकसित की, हालांकि प्रारंभिक परीक्षणों में तापमान और लवणता के प्रभाव से कठिनाई हुई।
  - बाद के खुले महासागर परीक्षणों ने कार्यक्षमता की पुष्टि की।
- **विदेशी निर्भरता:** उछाल के लिए सिंटैक्टिक फोम फ्रांस से प्राप्त किया जाता है। टाइटेनियम हुल का दबाव परीक्षण रूस में किया जाएगा।

वर्तमान अपडेट

- **NIOT** ने प्रारंभिक परीक्षणों के लिए सबमर्सिबल का एक **स्टील प्रोटोटाइप** बनाया है।
- 100 मीटर तक के **सिम्युलेटेड गोते** सफलतापूर्वक पूरे किए गए।
- लंबित: 500-मीटर परीक्षण, जो सिंटैक्टिक फोम की देर से आगमन के कारण विलंबित है।
- 500-मीटर परीक्षणों के बाद, अंतिम **टाइटेनियम हुल** को 6,000 मीटर गहराई के लिए दबाव परीक्षण हेतु रूस भेजा जाएगा।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

इटली द्वारा महिला हत्या कानून पारित

समाचार में

- इटली ने एक नया कानून पारित किया है जिसमें **फेमिसाइड** को एक अलग अपराध के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है, जिसकी सज़ा **आजीवन कारावास** होगी।
  - यह कदम इटली को उन कुछ देशों जैसे **मेक्सिको** और **चिली** की श्रेणी में रखता है जो विशेष रूप से फेमिसाइड को अपराध घोषित करते हैं, जिसका उद्देश्य लैंगिक-आधारित हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा को बेहतर करना है।

फे मिसाइडक्या है?

- यह किसी महिला की हत्या है जो उसके **लिंग से संबंधित कारणों** के चलते की जाती है।
- इसे महिलाओं को लक्षित करने वाले अपराधों की सबसे गंभीर अभिव्यक्तियों में से एक माना जाता है।
- **2022 के संयुक्त राष्ट्र ढाँचे** ने फेमिसाइड को पीड़िता और हमलावर के संबंध के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:
  - **घनिष्ठ साथी द्वारा हत्या**
  - **अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा हत्या** (रक्त संबंधी, ससुराल या गोद लिए हुए रिश्तेदार)
  - **परिवार या घनिष्ठ दायरे से बाहर अन्य अपराधियों द्वारा हत्या**

कारण

- शोध फेमिसाइड को **पितृसत्तात्मक संरचनाओं** से जोड़ता है जो पुरुष प्रभुत्व को संस्थागत बनाती हैं।
- यह सुझाव देता है कि समाधान **संरचनात्मक** (कानूनी एवं पुलिस सुधार) और **सांस्कृतिक** (लैंगिक दृष्टिकोणों में सामाजिक बदलाव) दोनों होने चाहिए।
- **UN Women की एक रिपोर्ट** ने अनुमान लगाया कि 2024 में लगभग **50,000 महिलाएँ और लड़कियाँ** घनिष्ठ साथियों या परिवार के सदस्यों द्वारा मारी गईं, हालांकि आँकड़ों में अभी भी अंतराल उपस्थित हैं।

Source :IE

जी. वी. मावलंकर

समाचार में

- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष **गणेश वासुदेव मावलंकर** को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।

जी. वी. मावलंकर के बारे में

- **बरौडा, गुजरात** में जन्मे मावलंकर एक वकील थे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़कर महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया।
- उन्होंने 1946-1947 के दौरान **संविधान सभा (विधानमंडल)** के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- जी. वी. मावलंकर को लोकप्रिय रूप से **दादासाहेब** कहा जाता था और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें "**लोकसभा के जनक**" के रूप में सम्मानित किया। वे भारत के संसदीय लोकतंत्र को आकार देने में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे।
- मावलंकर ने **अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी** और **गुजरात विद्यापीठ** की सह-स्थापना की, जहाँ उन्होंने पटेल और गांधी के साथ मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- उन्होंने **नेशनल राइफल एसोसिएशन** और **इंस्टीट्यूट फॉर अफ्रो-एशियन रिलेशंस** की भी स्थापना की।
- उनकी रचनाएँ — **मानवता ना झरना**, **संस्मरणो**, और **ए ग्रेट एक्सपेरिमेंट** — उनके लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र-निर्माण के प्रति समर्पण को दर्शाती हैं।

Source: AIR

माधवाचार्य

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ में आयोजित **लक्ष कंठ गीता पारायण कार्यक्रम** को संबोधित किया। उडुपी **माध्व परंपरा** और **द्वैत वेदांत** में केंद्रीय स्थान रखता है।

परिचय

- **माध्व परंपरा** भारतीय दर्शन और धार्मिक आचरण के सबसे प्रभावशाली विद्यालयों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है।
- इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में **जगद्गुरु माध्वाचार्य** (जिन्हें पूर्णप्रज्ञ या आनंद तीर्थ भी कहा जाता है) ने की थी। यह परंपरा **द्वैत वेदांत** या **द्वैतवाद के सिद्धांत** की शिक्षाओं पर आधारित है।
- इस प्रणाली की विशेषता विष्णु/कृष्ण के प्रति गहन भक्ति, व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के बीच स्पष्ट भेदभाव, तथा भक्ति आंदोलन में योगदान है।
- द्वैत वेदांत की एक मुख्य विशेषता **पंच-भेद का सिद्धांत** है, जो पाँच वास्तविक भेदों को रेखांकित करता है:
  - ईश्वर और आत्मा
  - ईश्वर और पदार्थ
  - आत्मा और पदार्थ
  - एक आत्मा और दूसरी आत्मा
  - एक प्रकार का पदार्थ और दूसरा प्रकार का पदार्थ ये भेद अस्तित्व की संरचना में अंतर्निहित हैं।

योगदान

- माध्वाचार्य की भक्तिमय दृष्टि ने कर्नाटक के बाद के **हरिदास आंदोलन** की भावना को आकार दिया, जिसने **पुरंदरदास** और **कनकदास** जैसे संत-रचनाकारों को जन्म दिया।
- माध्वाचार्य ने संस्कृत में **37 ग्रंथों** की रचना की, जिन्हें सामूहिक रूप से **सर्व-मूल ग्रंथ** कहा जाता है। इनमें उन्होंने वेदांत की अपनी द्वैतवादी व्याख्या को समझाया और उसका समर्थन किया।

Source: DD News

सिरपुर पुरातात्विक स्थल

समाचार में

- **सिरपुर पुरातात्त्विक स्थल** को यूनेस्को विश्व धरोहर टैग प्राप्त करने के प्रयासों के अंतर्गत बैटरी चालित गोल्फ कार्ट, डिजिटल प्रदर्शनी और इमर्सिव स्टोरीटेलिंग मॉड्यूल जैसी सुविधाओं के साथ उन्नत किया जा रहा है।

सिरपुर पुरातात्त्विक स्थल

- **सिरपुर** छत्तीसगढ़ के महासमुंद ज़िले में रायपुर से दो घंटे की दूरी पर स्थित है।
- यह **5वीं–12वीं शताब्दी** का पुरातात्त्विक स्थल है जिसमें महानदी नदी के किनारे 34 हिंदू, जैन और बौद्ध स्मारक शामिल हैं।

- इसे पहली बार 1882 में **अलेक्ज़ेंडर कनिंघम** ने पहचाना था। खुदाई 1950 के दशक और बाद के वर्षों में फिर शुरू हुई, जिसमें 22 शिव मंदिर, पाँच विष्णु मंदिर, 10 बौद्ध विहार एवं तीन जैन विहार उजागर हुए, जिनमें सबसे प्राचीन 5वीं शताब्दी का है।

प्रमुख विशेषताएँ

- सिरपुर कभी **दक्षिण कोसल** की राजधानी था, जहाँ **पांडुवंशी** और **सोमवंशी** राजाओं का शासन था।
- यह प्रारंभिक-मध्यकालीन शहरी नियोजन को प्रदर्शित करता है जिसमें महल के अवशेष, बाज़ार, आवासीय क्षेत्र, मंदिर, स्तूप, ध्यान कक्ष और जल प्रणालियाँ शामिल हैं।
- उल्लेखनीय संरचनाओं में **7वीं शताब्दी का लक्ष्मण मंदिर** शामिल है, जो भारत के सबसे उत्कृष्ट ईंट मंदिरों में से एक है, और **सुरंग टीला परिसर**, जो ऊँचे चबूतरे पर पंचायतन शैली के मंदिरों के साथ निर्मित है।
- यह एक प्रमुख **बौद्ध केंद्र** भी था, जिसमें बड़े विहार, स्तूप और **तिवरदेव महाविहार** शामिल हैं, जहाँ एक महत्वपूर्ण बुद्ध प्रतिमा स्थापित है।
- इसकी पवित्र नदी-तटीय परिदृश्य, घाटों और मंदिर समूहों के साथ, यूनेस्को की उस दृष्टि को मूर्त रूप देता है जिसमें सांस्कृतिक स्थल प्रकृति एवं मानव दोनों द्वारा आकारित होते हैं, जिससे इसकी वैश्विक धरोहर महत्ता बढ़ती है।

क्या आप जानते हैं?

- **विश्व धरोहर स्थल** वह स्थान होता है जिसकी "असाधारण सार्वभौमिक महत्ता" होती है — ऐसा सांस्कृतिक और/या प्राकृतिक महत्व जो इतना विशिष्ट हो कि राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो।
- **यूनेस्को टैग** किसी स्थल की अंतरराष्ट्रीय पहचान को बढ़ाता है, जिससे पर्यटन और राजस्व में वृद्धि होती है।
- यह निधियों को एकत्रित करने और स्मारकों को विनाश एवं अतिक्रमण से बचाने के प्रयासों को भी सुदृढ़ करने में सहायता करता है।

Source :IE

भारत इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन काउंसिल में पुनः निर्वाचित

समाचार में

- भारत को 2026-27 के लिए **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की परिषद** में सबसे अधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के बारे में

- **अवलोकन:** यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जिसका दायित्व नौवहन की सुरक्षा और संरक्षा तथा जहाजों द्वारा समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम है।
- **स्थापना:** IMO की स्थापना 1948 में जिनेवा में आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद हुई और यह 1958 में अस्तित्व में आया।
- **कार्य:** इसका उद्देश्य एक निष्पक्ष, सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया नियामक ढाँचा तैयार करना है, जो परिचालकों को सुरक्षा और स्थिरता की कीमत पर लागत घटाने से रोकता है, साथ ही नवाचार एवं दक्षता को बढ़ावा देता है।
  - इसके उपाय नौवहन के सभी पहलुओं को कवर करते हैं — डिज़ाइन और निर्माण से लेकर संचालन एवं निपटान तक — ताकि उद्योग सुरक्षित, ऊर्जा-कुशल तथा पर्यावरण के अनुकूल बना रहे।
- **सदस्य:** IMO के 175 सदस्य राष्ट्र और तीन सहयोगी सदस्य हैं, तथा इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है।
  - भारत 1959 में IMO से जुड़ा।
- **संरचना:** IMO का संचालन सभी सदस्य राष्ट्रों की द्विवार्षिक रूप से आयोजित सभा और दो-वर्षीय कार्यकाल के लिए चुनी गई 40-सदस्यीय परिषद द्वारा किया जाता है।
  - सभा संगठन की सर्वोच्च शासी प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है।

Source: Air

डिजिटल बैंकिंग चैनलों के लिए RBI के नियम

समाचार में

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विनियमित संस्थाओं के लिए **डिजिटल बैंकिंग चैनलों** पर नए मानदंड जारी किए हैं, जिससे अनुपालन को सरल बनाया जा सके और वित्तीय प्रशासन का आधुनिकीकरण हो सके।

डिजिटल बैंकिंग चैनल क्या हैं?

- डिजिटल बैंकिंग चैनल उन सेवाओं को संदर्भित करते हैं जो बैंक वेबसाइटों (इंटरनेट बैंकिंग), मोबाइल फोन (मोबाइल बैंकिंग), या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करते हैं। ये ग्राहकों को उच्च स्तर के स्वचालन और निर्बाध सेवा के साथ वित्तीय एवं बैंकिंग लेन-देन करने की सुविधा देते हैं।

RBI द्वारा जारी प्रमुख मानदंड

- **स्पष्ट सहमति:** किसी भी डिजिटल बैंकिंग चैनल को सक्रिय करने से पहले बैंकों को ग्राहकों की स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी होगी।
- **मोबाइल नंबर की अनुमति:** बैंक अलर्ट और KYC के लिए ग्राहकों के मोबाइल नंबर एकत्र कर सकते हैं।
- **जोखिम नियंत्रण:** बैंक अपनी आंतरिक नीतियों के आधार पर लेन-देन की सीमा, गति सीमा और धोखाधड़ी-जांच उपाय निर्धारित कर सकते हैं।
- **भुगतान प्रणाली नियमों का अनुपालन:** बैंकों को भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) तथा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 द्वारा जारी निर्देशों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- **अनिवार्य निगरानी:** जोखिम-आधारित लेन-देन निगरानी आवश्यक है; बैंकों को असामान्य व्यवहार को चिन्हित करना होगा और असामान्य लेन-देन के लिए पूर्व पुष्टि लेनी होगी।
- **नेटवर्क-स्वतंत्र पहुँच:** मोबाइल बैंकिंग सभी मोबाइल नेटवर्क पर कार्य करना चाहिए।
- **कोई तृतीय-पक्ष उत्पाद प्रदर्शन नहीं:** बैंक डिजिटल चैनलों पर तृतीय-पक्ष या समूह-कंपनी उत्पाद नहीं दिखा सकते जब तक कि RBI इसकी अनुमति न दे।

Source: BS

रूस की एस-500 वायु रक्षा प्रणाली

समाचार में

- भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति आगामी भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलने वाले हैं, जहाँ दोनों पक्षों के बीच भारत की आगामी पीढ़ी की S-500 प्रोमेतेई वायु रक्षा प्रणाली में रुचि पर चर्चा होने की संभावना है।

परिचय

- S-500 प्रोमेतेई रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह-से-आकाश और अंतरिक्ष-विरोधी रक्षा प्रणाली है, जिसे आधुनिक एवं भविष्य के हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसे रूस की प्रमुख वायु रक्षा और मिसाइल-रोधी निर्माता कंपनी अल्माज़-आंतेय द्वारा विकसित किया गया है।
- S-500 विमान, मिसाइल और हाइपरसोनिक खतरों को 600 किमी तक की दूरी पर रोक सकता है।
- यह 200 किमी तक की ऊँचाई पर परिचालित हो सकता है, जिससे बैलिस्टिक मिसाइलों को मध्य-पथ में, हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों और लो-अर्थ-ऑर्बिट (LEO) उपग्रहों को रोका जा सकता है।
- इसकी प्रतिक्रिया समय 3–4 सेकंड है, जो S-400 की तुलना में लगभग दोगुना तीव्र है।

विशेषता	S-400	S-500
रेंज	380 किमी	600 किमी
निर्धारित ऊँचाई	30–40 किमी	200 किमी तक (निकट-अंतरिक्ष)
खतरों का अवरोधन	विमान, क्रूज मिसाइलें, सीमित बैलिस्टिक मिसाइलें	बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, स्टेल्थ विमान, LEO सैटेलाइट
प्रतिक्रिया समय	9–10 सेकंड	3–4 सेकंड
उपग्रह रोधी क्षमता	नहीं	हाँ
भूमिका	लंबी दूरी की वायु रक्षा	वायु + अंतरिक्ष रक्षा

भारत के लिए सामरिक महत्व

- **भारत की वायु रक्षा ढाल में बड़ा उन्नयन:** S-500 को प्राप्त करना भारत के स्तरीकृत मिसाइल रक्षा नेटवर्क को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करेगा, जो निम्नलिखित को पूरक करेगा:
  - PAD/AAD बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा
  - S-400 रेजिमेंट
  - स्वदेशी प्रणालियाँ (आकाश-NG, MR-SAM)
- **चीन और पाकिस्तान का सामना करना:** यह चीन की DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का सामना करने में सहायता करेगा।
- **पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार के विरुद्ध मजबूत रक्षा:** S-500 भारत को पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं के खिलाफ सशक्त सुरक्षा प्रदान करेगा।

Source: TH

ऑपरेशन सागर बंधु

संदर्भ

- चक्रवात **दित्वाह** के बाद, जिसने श्रीलंका में व्यापक क्षति पहुँचाई, भारत ने तीव्रता से राहत और बचाव कार्यों में सहयोग हेतु **ऑपरेशन सागर बंधु** शुरू किया।

ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में

- यह भारत द्वारा शुरू किया गया एक **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियान** है, जिसका उद्देश्य श्रीलंका को आपातकालीन सहायता प्रदान करना है।
- इस अभियान के तहत भारत ने भेजा:
  - राहत सामग्री
  - चिकित्सीय आपूर्ति
  - आपातकालीन उपकरण
  - महत्वपूर्ण HADR संसाधन
- यह अभियान भारत की **पड़ोसी प्रथम नीति** और व्यापक **महासागर समुद्री दृष्टि** के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Source: PIB

■■■■